संघ सरकार की वित्त व्यवस्था एवं लेखेः 2009-10

यह प्रतिवेदन संघ के लेखों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर चर्चा करता है तथा वर्ष 2009-10 के लिए संघ सरकार की वित्त व्यवस्थाओं का विश्लेषण भी करता है। इसमें विनियोग लेखे 2009-10 का विश्लेषण भी शामिल है।

विशिष्टताएं

क. संघ सरकार के लेखों पर नि.म.ले.प. की टिप्पणियाँ

➢ वर्ष 2009-10 के लिए, संघ सरकार ने राज्य सरकार के बजट के बाहर केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्त निकायों तथा प्राधिकरणों, समितियों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को सीधे ₹93,880* करोड़ (संशोधित अनुमान के अनुसार) की केन्द्रीय योजनागत सहायता का अंतरण किया। सरकारी लेखों के बाहर अनुरक्षित इनके लेखों में अव्ययित शेषों की कुल राशि अनिश्चेय है। लेखों में उस सीमा तक प्रदर्शित सरकारी व्यय को अधिक बताया गया है।

(पैरा 2.2)

➢ लेखे के 24 मुख्य शीर्षों (जो सरकार के कार्यों को प्रस्तुत करते हैं) के अन्तर्गत ₹15899.73 करोड़ को संघ सरकार के वित्त लेखों में 'अन्य व्यय' के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो इन लेखों में अपारदर्शिता के सार्थक अंश को दर्शाते हुए संबंधित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दर्ज कुल व्यय का 50 *प्रतिशत* से अधिक बनता है। यद्यपि, अंतरिम मापदण्ड के रूप में, महालेखा नियंत्रक (म.ले.नि.) ने लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत सम्मिलित महत्वपूर्ण व्यय के ब्यौरे देते हुए वित्त लेखों में फुट नोट डाले हैं, लेकिन लेखे के नए शीर्षों को खोलने तथा लेखे के अप्रयुक्त शीर्षों को बन्द करने के माध्यम से सरकार की वर्तमान गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए लेखे की पुनःसंरचना को, नियमित आधार पर समस्या का निदान करने हेतु, सरकार द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(पैरा 2.3)

➢ संघ वित्त लेखे 2008-09 तथा 2009-10 की संवीक्षा ने प्रकट किया कि जबकि भारत की संचित निधि (भा.सं.नि.) के अंतर्गत राष्ट्रीय निवेश निधि (रा.नि.नि.) की पोर्टफोलियों प्रबंधन योजना (विवेकाधीन प्रकार) से ₹84.81 करोड़ तथा ₹226.85 करोड़ की आय को आय के रूप में प्रदर्शित किया गया था फिर भी निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया के उल्लंघन में भा.सं.नि. से आय के अंतरण को अंकित करने के लिए लोक लेखे में मुख्य शीर्ष '8453-रा.नि.नि. का आय एवं व्यय लेखा' नहीं खोला गया है। गत वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी इसकी चर्चा की गई थी।

---

* **व्यय बजट 2010-11 (खण्ड-I) के अनुसार**

इसके अतिरिक्त, संशोधित लेखांकन प्रक्रिया के अन्तर्गत, 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2012 की अवधि के दौरान एकत्रित विनिवेश प्राप्ति को लघुशीर्ष "8452-102- 1.4.2009 से 31.3.2012 की अवधि के लिए भारत सरकार की विनिवेश प्राप्ति" के अंतर्गत रा.नि.नि. को अंतरित की जानी थी। संघ वित्त लेखे 2009-10 की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि उक्त लघुशीर्ष खोला नहीं गया था तथा रा.नि.नि. को/से अन्तरित ₹23,552.97 करोड़ रू. का लेखांकन विद्यमान लघुशीर्ष "8452-101-प्रीमियम को शामिल करते हुए सरकारी इक्विटी के विनिवेश प्राप्ति के अंतर्गत किया गया था" ।

(पैरा 2.4(i))

- सार्वभौम सेवा बाध्यता निधि के अंतः शेष को ₹20,737.92 करोड़ तक कम बताया गया है। 2002-03 से 2009-10 के दौरान ₹31,109.36 करोड़ का कुल सार्वभौम सेवा उदग्रहण एकत्रित किया गया था परन्तु इस अवधि के दौरान निधि में से केवल ₹10,371.44 करोड़ का संवितरण किया गया था। इस प्रकार, भारत के लोक लेखे में शीर्ष 8235- सामान्य एवं आरक्षित निधियां, 118-सार्वभौम सेवा बाध्यता निधि के अंतर्गत दर्शाए गए शून्य शेष के प्रति 31 मार्च 2010 को निधि का अंतिम शेष ₹20,737.92 करोड़ होना चाहिए।

(पैरा 2.4(ii))

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भा.प्र.वि.बो.), बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (बी.नि.वि.प्रा.), केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (के.वि.नि.आ.) तथा पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पै.प्रा.गै.नि.बो.), सांवैधानिक प्रावधानों एवं वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के उल्लंघन में शुल्क प्रभारों, भारत सरकार से प्राप्त अव्ययित अनुदानों आदि के माध्यम से सृजित कुल ₹2,142.24 करोड़ की अपनी अधिशेष निधियों को मार्च 2010 के अंत तक सरकारी लेखों से बाहर रख रहे थे।

(पैरा 2.5)

- 2009-10 के दौरान कुल ₹12,815 करोड़ की आयकर वापसियों पर अदा किए गए ब्याज पर व्यय को संघ सरकार के लेखे में संघ सरकार के राजस्व में कटौती के रूप में लेखांकित किया गया था। ऐसे लेखांकन समायोजन न केवल लेखांकन नियमों के प्रतिकूल है बल्कि इनका परिणाम बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से संसद की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ब्याज भुगतानों पर व्यय करने में भी हुआ। परिणामस्वरूप, संघ सरकार के लेखे में वर्ष 2009-10 के लिए संघ सरकार के व्यय के साथ-साथ राजस्व को ₹12,815 करोड़ (अनन्तिम आँकड़े जैसा कि के.प्र.क.बो. ने बताया था) तक कम बताया गया था।

(पैरा 2.6)

- वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने आयकर कल्याण निधि (आ.क.नि.) का सृजन किया तथा पिछले तीन वर्षों से निधि को ₹100 करोड़ का अंतरण किया, जिसे

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा इस आधार पर सहमति नहीं दी गई थी कि निधि द्वारा आवृत्त की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों को विभाग के वार्षिक बजट में शामिल किया जा सकेगा तथा इसे सामान्य बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से वित्तपोषित किया जाए।

(पैरा 2.7)

- मंत्रालय, संसद द्वारा पारित कोयला खदान मजदूर कल्याण निधि (निरसन) अधिनियम 1986 के प्रावधानों को लागू करने में इसके पारित होने के 24 वर्ष बाद भी असफल रहा तथा इस प्रकार, लोक व्यय से अधिक संसद के प्राधिकार को क्षति पहुंचाते हुए, अनाधिकृत व्यय करने के लिए समस्त निधि का संचालन करना जारी रखा। ।

(पैरा 2.8)

- मार्च 2010 तक वाणिज्यिक अथवा अर्द्धवाणिज्यिक प्रकृति के 43 विभागीयरूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों में से 38 उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखे एक से ग्यारह वर्षों के बीच की अवधि के लिए बकाया थे।

(पैरा 2.10)

- सरकारी लेखे में उचन्त शीर्षों को प्राप्तियों एवं भुगतानों के लेन-देन को प्रदर्शित करने के लिए परिचालित किया जाता है जिन्हें उनकी प्रकृति की सूचना के अभाव या अन्य कारणों के कारण लेखे के अंतिम शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता है। 31 मार्च 2010 को सिविल, रक्षा, रेलवे, डाक तथा दूरसंचार को सम्मिलित करते हुए, संघ वित्त लेखे में उचन्त शीर्ष के अंतर्गत कुल निवल शेष ₹16,110.40 करोड़ (डेबिट) था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009-10 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखों में प्रतिकूल शेष के 51 मामले थे। इनमें से, 11 प्रतिकूल शेष 10 वर्षों से अधिक से लम्बित थे।

(पैरा 2.13.1 एवं 2.13.2)

- आर्थिक सहायताओं, प्रतिबद्ध देयताओं, ऋण एवं अन्य देयताओं की पुनर्भुगतान अनुसूची, वित्तीय परिसम्पत्तियों में सहवर्धन या अपवर्धन, वेतनों, पेंशन, अनुरक्षण आदि पर व्यय के प्रकटीकरण पर आठ अतिरिक्त विवरणियों को बारहवें वित्त आयोग द्वारा नवम्बर 2004 के अपने प्रतिवेदन में अनुशंसित किया गया तथा जो सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत थे, को वित्त लेखों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(पैरा 2.1)

- वर्ष 2009-10 के दौरान, संघ सरकार के कुल संवितरण ₹44,42,304 करोड़ थे जिसमें से ₹33,49,565 करोड़ भारत की संचित निधि पर *प्रभारित* थे जिससे कुल संवितरण का 75 *प्रतिशत* बनता था। चूंकि *प्रभारित* संवितरण संसद द्वारा दत्तमत करने का विषय नहीं है इसलिए संसद द्वारा प्रभावी रूप से वित्तीय नियंत्रण की गुंजाइश कुल संवितरण के लगभग 25 *प्रतिशत* तक सीमित है।

सिविल मंत्रालयों के मामले में, प्रभारित व्यय का अनुपात ₹41,17,712 करोड़ के कुल संवितरणों के प्रति 81 प्रतिशत (₹33,49,254 करोड़) था।

(पैरा 6.4 एवं 6.9)

- संविधान के अनुच्छेद 114(3) के प्रावधानों के अनुसार पारित कानून द्वारा किए विनियोग के अंतर्गत के सिवाय भारत की संचित निधि से कोई भी धन आहरित नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, 2009-10 के दौरान, सिविल मंत्रालयों में चार अनुदानों के चार खण्डों में ₹9,219 करोड़, रेलवे की ग्यारह अनुदानों/ विनियोगों के 12 खण्डों में ₹1,930 करोड़ तथा डाक में एक अनुदान के एक खण्ड में ₹822 करोड़ का तथा रक्षा के दो अनुदानों के 3 खण्डों में ₹2,615 करोड़ अधिक संवितरण था जिसे संविधान के अनुच्छेद 115 (1)(ख) के अंतर्गत नियमित करने की आवश्यकता है।

(पैरा 7.1)

- अनुदान या विनियोग में बचतें या तो त्रुटिपूर्ण बजटीकरण या निष्पादन में कमी या फिर दोनों को दर्शाते हैं। 2009-10 के दौरान 53 अनुदानों (सिविल, डाक, रेलवे तथा रक्षा सेवाओं को शामिल करते हुए) के 66 मामलों में ₹100 करोड़ से अधिक बचतें थी। इन मामलों में कुल बचतें ₹2,60,295 करोड़ थीं। भारी बचतें जिन क्षेत्रों में थीं उनके ऋण का पुनर्भुगतान (₹1,62,413.18 करोड), ग्रामीण विकास विभाग (₹11,142.92 करोड़), राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अन्तरण (₹11,508.95 करोड़), ब्याज भुगतान (₹6,996.56 करोड़), विनिवेश विभाग (₹5,379.90 करोड़), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (₹5,267.74 करोड़), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग (₹5,086.89 करोड़), वित्तीय सेवा विभाग (₹3,947.72 करोड़), ऊर्जा मंत्रालय (₹2,661.91 करोड़), पुलिस (₹2,538.02 करोड़), उच्च शिक्षा विभाग (₹1,552.60 करोड़), पंचायती राज मंत्रालय (₹1,003.89 करोड़) एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (₹1,599.82 करोड़) आदि शामिल थे। मंत्रालयों/विभागों द्वारा बचतों के कारण 'कुछ योजनाओं को प्रारम्भ करने में विफलता' 'प्रगति रिपोर्ट/उपयोगिता प्रमाणपत्र के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब', 'कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों द्वारा व्यय की धीमी गति', 'राज्य सरकारों के पास पड़े हुए अव्ययित शेष' और राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति बताये गये थे।

(पैरा 7.4)

ख. संघ सरकार की वित्त व्यवस्था 2009-10ः एक विहंगावलोकन

- वर्ष 2009-10 भारत की संचित निधि में, ₹1,12,908 करोड़ के घाटे के साथ समाप्त हुआ, जबकि लोक लेखे में ₹28,268 करोड़ का अधिशेष था।

(पैरा 1.2)

संसाधन

- Xवीं योजना के दौरान संघ सरकार की प्राप्तियाँ (इसके सकल कर संग्रहण से राज्य के अंश का निवल) लगभग 22 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर पर बढ़ी

जबकि समरूप अवधि के दौरान गैर-कर प्राप्तियाँ लगभग 5 प्रतिशत की निम्न दर पर बढ़ी। इस दर की तुलना में, 2009-10 में निवल कर प्राप्तियाँ केवल 3 प्रतिशत तक बढ़ी जबकि गैर-कर प्राप्तियों में वृद्धि लगभग 17 प्रतिशत थी।

(पैरा 3.3)

- प्रत्यक्ष करों का अंश (निगम कर तथा आयकर) Xवीं योजना में समरूप अंश की तुलना में XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में कुल कर प्राप्तियों में बढ़ रहा है। Xवीं योजना की तुलना में XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्क का अंश गिर रहा था। तथापि, Xवीं योजना की तुलना में हाल के वर्षों में सेवा कर कर अंश दरों में वृद्धि के साथ-साथ कर आधार में वृद्धि के कारण सेवा कर के बढ़े संग्रहण के कारण काफी उच्च रहा है।

(पैरा 3.4)

- वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में विनिवेश से ₹1,120 करोड़ के बजट अनुमान के प्रति ₹23,598 करोड़ (₹21,366 करोड़ के प्रीमियम सहित)वसूल किया गया था।

(पैरा 3.6.1)

संवितरण

- वास्तविक व्यय का अंश दसवीं योजना अवधि में 32 प्रतिशत से, ग्यारहवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में औसतन लगभग 26 प्रतिशत तक मुख्यरूप से ऋण पुनःभुगतान के वृद्धि अंश के कारण गिरा। ग्यारहवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में, वास्तविक व्यय में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि, दसवीं योजना अवधि की वार्षिक औसत वृद्धि दर से काफी अधिक थी। तथापि 2009-10 में वास्तविक व्यय लगभग 7 प्रतिशत की कम दर पर बढ़ा क्योंकि मन्दी की प्रवृत्तियों का सामना करने के लिए वास्तविक व्यय में आश्चर्यजनक उछाल देखा गया।

(पैरा 4.1)

- 2009-10 के दौरान राजस्व व्यय 90.05 प्रतिशत पर कुल व्यय का प्रभावी घटक बना रहा।

(पैरा 4.2)

- 2009-10 में, खाद्य आर्थिक सहायताएं 33.58 *प्रतिशत* तक बढ़ी जबकि पेट्रोलियम आर्थिक सहायता पिछले वर्ष की तुलना 3.47 *प्रतिशत* तक बढ़ी। स्वदेशी तथा आयातित उर्वरकों (यूरिया) पर दी गई आर्थिक सहायताएं लगभग 21 *प्रतिशत* तक कम हुई जबकि विनियंत्रित उर्वरकों के क्रय पर किसानों को दी आर्थिक सहायता लगभग 19 प्रतिशत तक कम हुई।

(पैरा 4.2.2)

- संघ सरकार के व्यय के संघटन की प्रवृत्तियों ने प्रकट किया कि गैर-योजनागत व्यय योजनागत व्यय पर काफी भारी रहा तथा राजस्व व्यय पूर्ण रूप से पूंजीगत व्यय पर छा गया। Xवीं योजना की 24.17 प्रतिशत की औसत की तुलना में 2009-10 की कुल व्यय बास्केट में योजनागत व्यय के सापेक्ष अंश में सीमांतक वृद्धि थी (25.85 प्रतिशत)।

(पैरा 4.3.2)

- 2009-10 में सर्व शिक्षा अभियान में वास्तविक व्यय बजट अनुमानों से करीबन 8 प्रतिशत तक अधिक हुआ। दोपहर के भोजन की योजना (दो.भो.यो.) के मामले में, अब तक XIवीं योजना के सभी तीन वर्षों में वास्तविक व्यय बजट अनुमानों से कम पड़ा। वर्तमान वर्ष में, एन.आर.ई.जी. योजना तथा आई.सी.जी.जी.वाई. योजना में वास्तविक व्यय में विचारणीय गिरावट थी। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वास्तविक व्यय बजट अनुमानों से 11 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के मामले में, वर्तमान वर्ष हेतु अनुमानित से सीमांतक रूप से अधिक व्यय था जबकि XIवीं योजना के पिछले वर्षों में वास्तविक व्यय बजट अनुमानों से कम पड़ा।

(पैरा 4.6)

राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन

- तीन मुख्य राजकोषीय पैरामीटर-स.घ.उ. के सापेक्ष मापे गये राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा- एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान संघ सरकार की वित्त व्यवस्था में समग्र राजकोषीय असंतुलनों की सीमा को इंगित करते हैं। इन पैरामीटरों के अनुसार संघ सरकार के राजकोषीय निष्पादन ने पिछले वर्ष की तुलना में 2009-10 में मामूली सुधार को दर्शाया है क्योंकि 2008-09 में राजस्व तथा राजकोषीय घाटों दोनों में क्रमशः ₹3,56,377 करोड़ तथा ₹4,34,444 करोड़ से 2009-10 में ₹3,52,956 करोड़ तथा ₹4,32,443 करोड़ तक की कमी हुई है।

(पैरा 5.2.2, 5.2.3)

- Xवीं योजना तथा 2007-08 के दौरान प्राथमिक अधिक्य था जिसका अभिप्राय है कि ब्याज भुगतान राजकोषीय घाटों से अधिक थे। तथापि, 2008-09 तथा 2009-10 में, राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतानों से दुगना था। इसका अभिप्राय है कि इन दो वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटों का 50 प्रतिशत या अधिक ब्याज भुगतानों के अलावा राजस्व व्यय के कारण था। राजस्व व्यय की विवेकपूर्ण कटौती सरकार को प्राथमिक अधिशेष के स्तर पर वापस लाने मे समर्थ बना सकेगी।

(पैरा 5.2.4)

राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन

- Xवीं योजना अवधि के लिए आंतरिक ऋण ने कुल देयताओं का 69 प्रतिशत संस्थापित किया और लगभग 11 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर पर बढ़ा। 2009-10 में, कुल देयताओं में अंश 74 प्रतिशत तक अधिक था तथा इसकी वृद्धि Xवीं योजना अवधि की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत का उच्चतर थी। आंतरिक ऋण की उच्च वृद्धि का परिणाम संभाव्य निजी क्षेत्र निवेश के "जमघट" में हो सकता है क्योंकि जब सरकार ऐसे सार्थक ढ़ंग में ऋण बाजार में प्रवेश करती है तो ब्याज दरें कठोर होने की ओर अभिमुख होती हैं। राजकोषीय देयताओं की अन्य दोनों वर्गों में अर्थात् बाह्य ऋण (वर्तमान दर पर) तथा लोक लेखे में देयताएं, 2009-10 में वृद्धि Xवीं योजना अवधि में औसत वृद्धि दर से कम थी। वर्तमान वर्ष में बाह्य ऋण ने नकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की जबकि पिछले वर्ष में इस शीर्ष के अंतर्गत विचारणीय वृद्धि थी।

  (पैरा 5.1)

- XIIवें वित्त आयोग ने 2009-10 तक स.घ.उ. के 43.7 प्रतिशत तक संघ की कुल देयताओं में कटौती करने की अनुशंसा की थी। इसकी तुलना में, संघ की राजकोषीय देयताएँ वर्तमान वर्ष की समाप्ति पर लगभग 51 प्रतिशत पर रहीं।

  (पैरा 5.2)

- 2009-10 में परिसम्पतियों के प्रति देयताओं का अनुपात Xवीं योजना के लिए 40 *प्रतिशत* से अधिक के प्रवृति अनुपात की तुलना में केवल 35 *प्रतिशत* था। इसका अभिप्राय यह है कि वर्षो से देयताएं, परिसम्पत्तियों के मुकाबले तीव्रता से बढ़ी है। Xवीं योजना अवधि में लगभग 9 *प्रतिशत* की औसत दर वृद्धि के प्रति 2008-09 में कुल देयताएं लगभग 15 *प्रतिशत* तथा वर्तमान वर्ष में लगभग 11 प्रतिशत तक बढ़ी। XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में परिसम्पत्तियों में वार्षिक वृद्धि Xवीं योजना में औसत वार्षिक वृद्धि दर की अपेक्षा उच्चतर रही है।

  (पैरा 5.3)

- Xवीं योजना अवधि के दौरान बाजार के मूल्यों पर स.घ.उ. की वृद्धि दर की अपेक्षा समय से कुल ऋण पर औसतन ब्याज दर कम रही। 2009-10 में आंतरिक ऋण पर औसतन ब्याज दर (8.54 *प्रतिशत*) स.घ.उ. की वृद्धि दर (11.78 प्रतिशत) से कम थी। बाह्य ऋण पर अदा की गई औसतन ब्याज दर घरेलू ऋण पर अदा किए गए से काफी कम थी।

  (पैरा 5.4)

- Xवीं योजना (2002-07) के लिए ₹4,509 करोड़ के संसाधनों (बढ़ते हुए राजस्व व्यय घटा बढ़ती हुई राजस्व प्राप्तियां) में औसत कमी की तुलना में, 2009-10 में ₹3421 करोड़ का संसाधन अधिशेष था।

  (पैरा 5.4)

- 31 मार्च 2010 को, अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता का ₹1,05,339 करोड़ का आदेश था। शहरी विकास, जल संसाधन, ऊर्जा अवसंरचना तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों में बड़े अनाहरित शेष थे। इसके अतिरिक्त, निरन्तर अपर्याप्त योजना का परिणाम 2009-10 में कुल ₹86.11 करोड़ रू. की अनाहरित बाह्य सहायता पर वचनबद्ध प्रभारों के रूप में परिहार्य व्यय में हुआ।

(पैरा 5.6)